न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 98 / 2025 (GCMS : 2025/121)

1. **सुरजीत सिंह** पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगंगानगर
2. **मेजर सिंह** पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर** जिला श्रीगंगानगर
2. **अवतार सिंह** पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **रणजीत कौर** पत्नी मिठू सिंह जाति जटसिख पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनुवानी सुरजीत सिंह वगै. बनाम अवतार सिंह वगै. वाद संख्या 143 / 2023 को सक्षम न्यायालय में मुंतकिल कियें जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के स्थानान्तरण होने के कारण उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी सुरजीत सिंह वगै बनाम अवतार सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर